

INDIA PESTICIDES LIMITED



An ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 and 10002:2018 Company

CIN No. L24112 UP1984PLC006894

GSTIN- 09AAACI3591D1ZO

Water Works Road, Aishbagh, Lucknow – 226004
(INDIA) Tel : +91-522-2653602, 2653603, 2653622,
4041014 Fax : +91-522-2653610
Website: www.indiapesticideslimited.com
E-mail: info@indiapesticideslimited.com

Date: 03.08.2026

To,

The Manager, Listing Department BSE Limited P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai-400001 Scrip Code: 543311 ISIN: INE0D6701023	The Manager, Listing & Compliance Department National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot no .C/1,G Block, Bandra- Kurla Complex, Mumbai-400051 Company Symbol: IPL
---	--

Sub: Newspaper Advertisement for Notice of the 41st Annual General Meeting (AGM) and E-Voting Information

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published for giving Public Notice before dispatch of the Annual General Meeting (AGM) Notice along with the Integrated Annual Report to the Members, intimating that the 41st AGM of the Company will be held on Monday, 31st August, 2026 at 12:00 P.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"), along with remote e-voting details, as published in the following newspapers on Monday, 03rd August, 2026:

Financial Express (All Editions) – English daily

Jansatta (All Editions) – Hindi daily

The said newspaper publication is also available on the Company's website at www.indiapesticideslimited.com

You are kindly requested to take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For India Pesticides Limited



(NARENDRA OJHA)
Company Secretary and Compliance Officer
Encl.: As Above

Regd. Office: Swarup Bhawan, 35-A, Civil Lanes, Bareilly – 243 001. Uttar Pradesh, India. Phone: 0581-2567476
Manufacturing Unit 1: Plot No: E-17 to E-23 & G-31 to G-35, UPSIDC Industrial Area, Dewa Road, Chinhath, Lucknow, (UP)
Manufacturing Unit 2: Plot No: K-2 to K-12 & D-2 to D-4, UPSIDC Industrial Area, Sandila, Hardoi, Uttar Pradesh, India

राउत ने सिद्धि विनायक मंदिर दान चोरी के दावे का समर्थन किया

मुंबई, 2 अगस्त (भाषा)।

शिवसेना (उबाठा) नेता संजय राउत ने रविवार को मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दान चोरी के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के दावे का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि प्रतिष्ठित मंदिर की बागडोर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी लोगों के हाथों में जाने के बाद से ऐसी घटनाएं बढ़ गई हैं।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष

राज ठाकरे ने शनिवार को प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए की चोरी होने का दावा करते हुए कहा कि आजकल मंदिर भी सुरक्षित नहीं हैं। मनसे की छात्र इकाई के एक कार्यक्रम में ठाकरे ने यह दावा भी किया कि अयोध्या के राम मंदिर में 1,400 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। पत्रकारों से बात करते हुए, राउत ने कहा कि भाजपा के लोग अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा गवन में शामिल हैं, जहां बड़े खिलाड़ी बच गए हैं, जबकि छोटे मोहरे गिरफ्तार हो गए हैं।

 इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड सीआइएन: L24112UP19844PLC006894 पंजीकृत कार्यालय: 35-ए सखिल लाइन्स, बरेली, उत्तर प्रदेश-243001 कॉर्पोरेट कार्यालय: वाटवर्क्स रोड स्वरूप कोल्डस्टोरेज कंपाउंड, ऐराबाग लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226004 फ़ोन नं.: +91 522 2653602, ईमेल: Investor@indiapesticideslimited.com, वेबसाइट: www.indiapesticideslimited.com	
41वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग सूचना	
यह सूचित किया जाता है कि इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 41वीं वार्षिक आम बैठक("एजीएम") सोमवार, 31 अगस्त, 2026 को भारतीय मानक समयानुसार दोपहर 12:00 बजे, एजीएम सूचना में निर्धारित साधारण एवं विशेष कार्यों के निष्पादन हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार होने, दिनांक 05 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 , दिनांक 05 मई, 2022 के सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 , दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 , दिनांक 25 सितंबर, 2023 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 , दिनांक 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए परवर्ती परिपत्रों, जिनमें नवीनतम दिनांक 22 सितंबर, 2025 का सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 , जो वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) एवं असाधारण आम बैठक आयोजित करने तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा साधारण एवं विशेष प्रस्ताव पारित किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान करता है, के साथ पढ़ा जाएगा (जिन्हें सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" कहा गया है), तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 को जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडीबीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, यथा संशोधित ("सूचीबद्धता विनियम") के लागू प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाएगी। वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट की प्रति वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना के साथ वर्ष 2025-26 की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी के उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार एवं स्थानांतरण एजेंटों के पास पंजीकृत हैं। वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.indiapesticideslimited.com और बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी, और इसे एनएसईएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी देखा जा सकता है।	
बैठक का स्वाम कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 35-ए सखिल लाइंस, बरेली,उत्तरप्रदेश -243001 माना जाएगा। वार्षिक आम बैठक के लिए कोरम की गणना वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से उपस्थित होने वाले सदस्यों की उपस्थिति गिनी जाएगी। वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित दस्तावेज वार्षिक आम बैठक की सूचना के प्रसार की तिथि से सदस्यों के निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के दृष्टिको सदस्य investor@indiapesticideslimited.com पर ई-मेल भेज सकते हैं।	
रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 और सचिवीय मानक-2 के अनुसरण में, कंपनी सदस्यों को 41वीं वार्षिक आम बैठक में प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपना मत डालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य नीचे उल्लिखित तिथियों ("दूरस्थ ई-मतदान") पर दूरस्थ रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। कम्पनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्विटीटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।	
डीमेट/टियरलाइन्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा दूरस्थ रूप से मतदान करने के तरीके सहित सूचना और निर्देश के साथी जन सदस्यों ने अपना ई-मेस पता पंजीकृत नहीं किया है, उन्हें एजीएम की सूचना में मतदान करने की प्रक्रिया प्रदान की गई है। जो व्यक्ति एजीएम की सूचना भेजने और कट-ऑफ तिथि यानी 24.08.2026 तक शेयर रखने के बाद कंपनी के सदस्य बन जाते हैं, वे भी अपना वोट डालने के पात्र हैं। जिन सदस्यों कोअपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड की जानकारी नहीं है, वे इसे एजीएम की सूचना में दिए गए तरीके से जन्रेट कर सकते हैं।	
रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा निम्नलिखित वोटिंग अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:	
रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत: शुक्रवार, 28 अगस्त, 2026 सुबह 9:00 बजे (भा.स.)	
रिमोट ई-वोटिंग का अंत : रविवार, 30 अगस्त, 2026 को शाम 5:00 बजे तक। (भा.स.)	
उपर्युक्त तिथि और समय के बाद दूरस्थ ई-मतदान की अनुमति नहीं होगी और उपर्युक्त अवधि समाप्त होने पर एनएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल को तत्काल निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उपस्थित वे सदस्य जिन्होंने दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के समय इलेक्ट्रॉनिक रूप से ("इंस्टा पोल") मतदान कर सकते हैं। किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद,सदस्य उसे बाद में संशोधित नहीं कर सकता है।	
केवल वही व्यक्ति, जिसका नाम ई-वोटिंग की कट-ऑफ तिथि अर्थात सोमवार, 24 अगस्त, 2026 को सदस्यों के रजिस्ट्रार या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभांश1 मालिकों के रजिस्ट्रार में दर्ज है, 41वीं एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या इंस्टा पोल के माध्यम से मतदान की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। जो व्यक्ति उस कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए लेना चाहिए। सदस्यों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात सोमवार, 24 अगस्त, 2026 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा। श्री सविनेत ग्रामी (एफसीएस: 42259),पार्टर, मेमर्स जीएसके एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से पहले और उसके दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान प्रक्रिया की जींच करने के लिए स्फुटीयताइज़र नियुक्तकिया गया है।	
एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और डाले गए वोटों का परिणाम एजीएम की समाप्ति के दो कार्यदिहसों के भीतर घोषित किया जाएगा। घोषित परिणाम, स्फुटीयताइज़र की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट www.indiapesticideslimited.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उनकी घोषणा के तुरंत बाद प्रकाशित किया जाएगा और उन स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, जैसे बीएसई और एनएसई, और उनकी संबंधित वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध कराया जाएगा।	
लाभांश और उसके भुगतान की रिकार्ड तिथि : शेयरधारक ध्यान दें कि निदेशक मंडल ने 23 मई, 2026 को हुई अपनी बैठक में 0.75/-रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश, वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है	
क. कम्पनी ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए सोमवार, 24 अगस्त, 2026 को रिकार्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया है।	
ख. कम्पनी के सदस्यों को लाभांश का भुगतान एजीएम के समापन के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा, तथा यह लाभांश उन्ही सदस्यों को प्रदान किया जाएगा जिनका नाम रिकार्ड तिथि पर कम्पनी के सदस्यों के रजिस्ट्रार और डीमेट/टियरलाइन्ड मोड में रखे गए शेयरों के संबंध में नेशनल सिक्विटीटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड द्वारा रिकार्ड तिथि पर लाभकारी मालिकों के रूप में प्रस्तुत किए गए होंगे।	
ग. लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रानिक माध्यम से उन सदस्यों को किया जाएगा जिन-होंने कम्पनी में अपने बैंक खाते का विवरण पंजीकृत किया है। लाभांश राश्ट्र उन सदस्यों के पंजीकृत पते पर भेजे जायेंगे जिन्होंने अपने बैंक खाता का विवरण अभिलिखित नहीं किया है।	
लाभांश प्राप्त करने के लिए आवश्यक जानकारी दर्ज करने के संबंध में : सदस्यों से अनुरोध है कि यदि शेयर डीमेट/टियरलाइन्ड मोड में रखे गए हैं, तो वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ अपने संपूर्ण बैंक विवरण को पंजीकृत/ अपडेट करें,जिनके साथ उनका डीमेट खाता है, और इसके लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स द्वारा आवश्यक फॉर्म और दस्तावेज जमा करें।	
ई-मेल पता पंजीकृत/ अपडेट करने का तरीका: डीमेट/टियरलाइन्ड मोड में शेयर रखने वाले कार्पोरेट सदस्य, जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत/ अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि, वे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जहां वे अपने डीमेट खाते रखते हैं, में पंजीकृत/ अपडेट करें। ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो सदस्य ई-वोटिंग करने के लिए NSDL वेबसाइट https://evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में डाउनडाउन मेनू के माध्यम से "एफएक्यूएड/ ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं। सदस्य KFin के टोल-फ्रीनंबर 1-800-309-4001 पर भी कॉल कर सकते हैं।	
सदस्यों से अनुरोध हो कि यदि कोई प्रश्न/ शिकायत हो तो उनके समाधान के लिए निम्नलिखित से संपर्क करें:	
श्री नरेंद्र ओझा, कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी, इंडिया पेस्टीसाइड्स लिमिटेड, वाटर वर्क्स रोड, स्वरूप कोल्ड स्टोरेज कंपाउंड, ऐराबाग लखनऊ-226004, दूरभाष:+91-522-2653602/03, ईमेल investor@indiapesticideslimited.com या वेबसाइट www.indiapesticideslimited.com	
वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से शामिल होना: सदस्य वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से, एनएसडीएल वेबलिक www.evoting.nsdl.com के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकेंगे। लॉगिन क्रेडेंशियल की जानकारी और वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए अपनाएं जाने वाले चरणों की जानकारी वार्षिक आम बैठक की सूचना में दी गई है। वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे भी वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकेंगे, लेकिन उन्हें वार्षिक आम बैठक में दोबारा अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।	
लाभांश पर कर: आयकर अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के संदर्भमें, सदस्यों को अवगत करना चाहते हैं कि दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से लाभांश पर आय शेयरधारकों के लिए कर योग्य है। इसलिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे आयकर अधिनियम, 2025 के अनुसार अपनी आवश्यक स्थिति, पेन का विवरण कम्पनी/आरटीए के साथ investor@indiapesticideslimited.com या einward.ris@kfintech.com पर अपडेट करें। लाभांश निर्धारित दत्तों पर स्रोत पर कर ("टीडीएस") की कटौती के अधीन होगा।	
दिनांक: 3 अगस्त, 2026 स्थान: लखनऊ	निदेशक मंडल के आदेश से हस्ता. नरेंद्र ओझा कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

 EPACK PREFAB TECHNOLOGIES LIMITED (previously known as Epack Polymers Private Limited and Epack Prefab Technologies Private Limited) Registered office: 61-B, Udyog Vihar Surajpur, Kasna Road, Gautam Buddha Nagar, Greater Noida - 201306, Uttar Pradesh, India CIN: L74999UP1999PLC116066; Website: www.epackprefab.com ; Contact no: +91-8130444466	
STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2026	
In compliance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Board of Directors of the EPACK Prefab Technologies Limited ("Company") at its meeting held on August 01, 2026 approved the unaudited financial results (Standalone and Consolidated) of the Company for the Quarter ended on June 30, 2026 ("Financial Results").	
The Financial Results along with the Limited Review Report by M/s. Talati & Talati LLP, Chartered Accountants, (ICAI Firm Registration No.: 110758W/W100377), Statutory Auditors of the Company are available on the website of the Company at https://epackprefab.com/investor-relations , and on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.	
In compliance with Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations, we hereby notify that the same can also be accessed by scanning the following Quick Response (QR) code:	
	For and behalf of EPACK Prefab Technologies Limited. SD/- Sanjay Singhania Managing Director & CEO DIN:01291342
Date: 02.08.2026 Place: Noida	

हिरासत में मादक पदार्थ तस्कर रियासी, सांबा और राजौरी जिलों में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया

जम्मू, 2 अगस्त (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में एक कथित मादक पदार्थ तस्कर को नशीले पदार्थ और मन:प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम अधिनियम (पीआईटी-एनडीपीएस) के तहत हिरासत में लिया गया है, वहीं रियासी, सांबा और राजौरी जिलों में मादक पदार्थ बरामद होने के बाद सात अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए सात लोगों में से छह को शनिवार को और एक अन्य आरोपी अक्षय कुमार को रविवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कठुआ जिले के जगतपुर गांव निवासी मोहम्मद यासिर को लखनपुर से पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत हिरासत में लेकर जम्मू के कोट भलवाल केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि यासिर का आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ पिछले वर्ष कठुआ जिले के विभिन्न थानों में मादक पदार्थों की



तस्करी से जुड़े तीन मामले दर्ज किए गए थे। उसकी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने उसके खिलाफ दस्तावेज तैयार कर जम्मू संभागीय आयुक्त को भेजा था, जिसके आधार पर पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत उसकी हिरासत का आदेश जारी किया गया। पुलिस ने शनिवार को इस आदेश को लागू किया। वहीं एक अन्य घटना में रियासी जिले में शनिवार को कटरा के योग आश्रम के पास मादक पदार्थ के चार कथित तस्करों वासु

मल्होत्रा, रोहित सिंह, सुशील शर्मा और विशाल सिंह को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 2.7 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

सांबा जिले के विजयपुर क्षेत्र में रविवार को तलाशी के दौरान अक्षय कुमार के पास से 40 ग्राम हेरोइन बरामद होने पर उसे गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि सांबा पुलिस ने शनिवार को रामगढ़ क्षेत्र में जांच के दौरान अखनुर निवासी विनोद कुमार की कार से 30.42 ग्राम हेरोइन बरामद कर उसे भी गिरफ्तार किया।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा

युवाओं में नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से खतरा महसूस कर रहे हैं राहुल गांधी

मुंबई, 2 अगस्त (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल ने रविवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं के बीच बढ़ती लोकप्रियता से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खतरा महसूस कर रहे हैं क्योंकि वह पहले स्वयं को 'युवा नेता' मानते थे, लेकिन अब युवाओं के बीच उनकी वैसी लोकप्रियता नहीं रही।

गोयल ने दावा किया कि भाजपा को लगातार युवा मतदाताओं का समर्थन मिल रहा है। जेन जेड हमेशा से हमारे साथ रहा है। मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से सांसद गोयल ने कहा कि युवा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण का आगे भी समर्थन करते रहेंगे। उन्होंने मोदी को दुनिया



गोयल ने दावा किया कि भाजपा को लगातार युवा मतदाताओं का समर्थन मिल रहा है। जेन जेड हमेशा से हमारे साथ रहा है।

का सबसे लोकप्रिय नेता बताते हुए कहा कि युवाओं के साथ उनका जुड़ाव और विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर उनकी सक्रिय मौजूदगी देश के विकास को और गति देगी। नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन और उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री

धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़े सवालों पर गोयल ने परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के मामलों से निपटने को लेकर केंद्र सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस संबंध में कड़ा कानून बनाया है।

उन्होंने दावा किया कि तत्कालीन कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संघ्रग) सरकार ने 2010-11 में परीक्षा प्रश्नपत्र लीक रोकने के लिए कानून बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे पेश करने का साहस नहीं दिखाया। गोयल ने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार 2024 में यह कानून लेकर आई और बाद में इसमें संशोधन करके इसे और सख्त बनाया, जिसके तहत कड़ी सजा और मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष अवालों का प्रावधान किया गया।

‘विकसित भारत के लिए युवाओं का नशा-मुक्त होना जरूरी’

बंगलुरु, 2 अगस्त (भाषा)।

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोट ने रविवार को कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं का नशा-मुक्त होना जरूरी है। उन्होंने देशव्यापी नशा मुक्त युवा- विकसित भारत संकल्प अभियान को जन-आंदोलन बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान करते हुए समाज के सभी वर्गों से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किए जाने के बाद बंगलुरु में इस अभियान की शुरुआत के

मौके पर गहलोट ने कहा कि यह पहल सिर्फ जागरूकता अभियान नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, मजबूत और जिम्मेदार भारत बनाने के मकसद से चलाया जा रहा राष्ट्रीय आंदोलन है। यह भरोसा जताते हुए कि यह अभियान युवाओं में जागरूकता की एक नई लहर पैदा करेगा, राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को देश के युवाओं की ताकत और क्षमता के जरिए ही साकार किया जा सकता है। राज्यपाल ने युवाओं से अपनी ऊर्जा को शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास, खेल और राष्ट्र सेवा जैसे क्षेत्रों में लगाने का आग्रह किया।

मजदूरों के हत्यारों के नाम सार्वजनिक करें : अब्दुल्ला

श्रीनगर, 2 अगस्त (भाषा)।

नेशनल कान्फ्रेंस (नेका) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को मांग की कि कुलगाम में दो प्रवासी मजदूरों और अनंतनाग में एक पुलिसकर्मी की हत्या करने वाले हमलावरों की पहचान सार्वजनिक की जाए।

उन्होंने प्रशासन से सवाल किया कि आखिर ये आतंकवादी कहां से आ रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के

बिजबेहड़ा क्षेत्र में अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि इन हत्याओं को कौन अंजाम दे रहा है। हमसे सिर्फ इतना कहा जाता है कि आतंकवादियों ने उन्हें मारा है। सवाल यह है कि जब सभी सीमाएं सील हैं, तो ये आतंकवादी कहाँ से आ रहे हैं? जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उपराज्यपाल के इस दावे को परखने के लिए हत्यारों का बेनकाब होना बेहद जरूरी है कि घाटी से आतंकवाद खत्म हो चुका है।

‘कावेरी मुद्दे पर कर्नाटक के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध’

बंगलुरु, 2 अगस्त (भाषा)।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार कावेरी मुद्दे पर राज्य के किसानों और जनता के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रस्तावित कर्नाटक बंद का आह्वान वापस लेने की अपील की।

कन्नड़ समर्थक संगठनों ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के उस आदेश के खिलाफ 13 अगस्त को कर्नाटक बंद का आह्वान किया है, जिसमें कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) की तमिलनाडु के लिए 15 दिन तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने की सिफारिश को

बरकरार रखा गया था। शिवकुमार ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वारिश से स्थिति में सुधार हुआ है और सभी राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे बंद से किसी का भला नहीं होगा।

सर्वतलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कानूनी दायरे में रहकर फैसले लेना जारी रखेगी, पीने के पानी की जरूरतों को प्राथमिकता देगी, कानूनी और कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेगी और कोई भी अगला कदम उठाने से पहले पानी की स्थिति पर लगातार नजर रखेगी। (सीडब्ल्यूआरसी) की तमिलनाडु के लिए 15 दिन तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने की सिफारिश को